न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–सह– प्रथम अपर सिविल जज (एस0डी0),हरिद्वार।
दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0– 114/2021
सी0आई0एस0 सं0– 3945/2021
सूर्यप्रकाश आर्य बनाम धर्मेन्द्र आर्य आदि।

दिनांकः 09.02.2022

प्रार्थी सूर्यप्रकाश के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 153(3) द0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण के विरूद्ध थाना पथरी के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें।

2. प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्यों के आधार पर संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी एक अमन पसन्द शान्तिप्रिय एवं कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। उसके परिवार के धर्मेन्द्र आर्य, देववृत आर्य, मुनेशवती व गंगारानी जो भू–माफिया व गुण्डा किस्म के व्यक्ति है और जबरदस्ती उसकी भूमि कब्जाना चाहते है, इसी कारण उसके विरूद्ध झूठे मुकदमे न्यायालय में योजित किये हुए है। जिसके चलते उसके द्वारा दिनांक 18.09.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना–पत्र दिया गया जिस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण अभियुक्तगण के हौसले और बुलन्द हो गए । दिनांक 06.12.2021 को समय करीब 11:30 बजे दिन में जब प्रार्थी अपनी सम्पत्ति पर गया तो उसे देखते हुए ये लोग तैंश में आ गए और मां बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे जिस कारण वह अपने कमरे के अन्दर चला गया तो ये सभी जबरदस्ती उसके कमरे में घुसकर मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे और घर में रखा सामान खुर्द–बुर्द कर दिया तथा उसके गले में पड़ी सोने की चैन छीन ली और धर्मेन्द्र ने अपने हाथ में लिए देशी तमन्चे से जान से मारने की नियत से उस पर फायर किया जो मिस हो गया वरना उसकी जान चली जाती, शोर सुनकर मौके पर आस–पड़ौस के बबलू, रणवीर व अन्य बहुत से व्यक्ति आ गए जिन्होंने सारा वाकया देखा और उसकी जान बचाई नही तो ये सभी उसे जान से मार देते, जाते–जाते ये लोग उसे धमकी देकर गए कि आज तो बच गया आईन्दा मौका मिलने पर तुझे और तेरे परिवार व रणवीर को जान से मार देंगे। उक्त घटना के सम्बंध में पुलिस को सूचना देने के लिए 100 नम्बर व 112 नम्बर पर फोन किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई जिस कारण दिनांक 06.12.2021 को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी फेरूपुर पर तथा दिनांक 07.12.2021 को थाना पथरी पर व्यक्तिगत रूप से व दिनांक 08.12.2021 को रजिस्टर्ड डाक से भी एक प्रार्थना–पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई। दिनांक 06.12.2021 को अभियुक्तगण द्वारा थाना पथरी पुलिस द्वारा साझ करके समय 12:15 बजे की झूठी घटना दर्शाकर उसके विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 410/2021 अन्तर्गत धारा 354,511,504,506 आई0पी0सी0 दर्ज करा दिया गया, परन्तु उसका कोई भी मुकदमा वर्तमान तक दर्ज नही किया गया है। उसके द्वारा दिनांक 09.12.2021 को एक प्रार्थना–पत्र शिकायत प्रकोष्ठ से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार तथा दिनांक 16.12.2021 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया गया जिस पर कोई कार्यवाही नही होने के कारण मजबूर होकर श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध अपराध संज्ञेय प्रकृति का है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश करने की प्रार्थना की गयी।

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत हुआ। न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया गया। प्रार्थी के द्वारा परिवाद–पत्र के साथ मय शपथ–पत्र, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीकक्ष महोदय,हरिद्वार व श्रीमान थानाध्यक्ष पथरी को प्रेषित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। थाने से आख्या मंगवाई गयी, जिसका अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार को द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गूगलमीट पर सुना गया तथा समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी/परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना प्रार्थी के स्वंय के ज्ञान में है। कथानुसार प्रार्थी द्वारा कारित कृत्य के आधार पर संज्ञेय अपराध कारित होने का कथन किया है। जिसका विरोध करने पर उपहति कारित होने का भी कथन किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से कथित घटना उसके स्वंय के ज्ञान में होना प्रकट हैं। ऐसी दशा में मामले में अन्वेषण कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक नहीं है। विवाद पारिवारिक होना प्रतीत होता है।

6. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा–**गुलाब उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002 इलाहाबाद लॉ जर्नल 1225** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार *" यदि विवेचना के द्वारा किसी साक्ष्य को एकत्र करने की आवश्यकता न हो तथा सभी तथ्य एवं साक्ष्य वादी के संज्ञान में हो, तो पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यवाही करना उचित है।"* चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य प्रार्थी की जानकारी में है। अतः मामले मे परिस्थितियों में एवं माननीय उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में मामले में विवेचना करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर, प्रार्थी/परिवादी का साक्ष्य लिया जाकर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। आदेश तदनुसार।

आदेश

प्रार्थी/परिवादी सूर्यप्रकाश आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक–21.03.2022 को पेश हो।

दिनांक 09.02.2022

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–सह–
प्रथम अपर सिविल जज (सी0डी0),हरिद्वार।